न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **रामेश्वर प्रसाद चौधरी,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 173/2026
CIS No. : 208/2026

श्रीमती सुकली पत्नी शिवशंकर, उम्र 37 वर्ष
निवासी–पीपलोद, बांसवाडा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला–बांसवाडा(राज.)
(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Cri. Misc. Appl. No. 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्ता की जाति अंकित नहीं की गई है)

.....प्राथीर्या/अभियुक्ता

–::बनाम::–

राजस्थान राज्य

.....विपक्षी/अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. बसिलसिले
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–259/2025 पीएस सलूम्बर
अपराध अंतर्गत धारा 303(2) बीएनएस

उपस्थितिः–
(1) श्री हितेश पंचाल, अधिवक्ता–प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से।
(2) श्री रणजीत पूर्बिया, राजकीय अभिभाषक–राज्य की ओर से।

–:: आदेश ::–

दिनांकः 27.05.2026

1. प्रार्थीया/अभियुक्ता **सुकली** की ओर से जमानत का हस्तगत **प्रथम** प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. जरिए अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2026 को पेश किया गया, जिसकी नकल राजकीय अभिभाषक को दिलाई गई। जमानत प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज किया गया। प्रकरण से संबंधित केसडायरी तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता का तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को इस प्रकरण में पुलिस ने झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता 6–7 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस मामले के सह–अभियुक्तगण काली व दिनेश की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में मन्जूर की जा चुकी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पूर्व में किसी प्रकरण में सजायाब नहीं रही है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध में मृत्यु दण्ड एवं आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता बाल, बच्चेदार है और उसके अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से उसके बच्चों का जीवन संकट में पड जावेगा। प्रार्थीया/अभियुक्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार की निवासी है, जिसके भाग जाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता

जमानत के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेशित सभी शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त तर्को का विरोध कर तर्क दिया है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रार्थी विमल कुमार की मां द्वारा गले में पहनी सोने की चेन चोरी करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक अभिलेख निम्नानुसार होना बताया गया है।

क्र.सं.	**मुकदमा नं. मय नाम थाना**	**अपराध अंतर्गत धारा**	**विशेष विवरण**
1.	519/2022, प्रतापगढ	379 भारतीय दण्ड संहिता	विचाराधीन

अन्त में प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2025 को प्रार्थी विमल कुमार ने पुलिस थाना, सलूम्बर को एक रिपोर्ट इस आशय की दी कि दिनांक 16.10.2025 को दिन में करीब 3.00 बजे उसकी मम्मी बस में बैठकर दवाई लेने सलूम्बर आ रही थी। अदकालिया बस स्टेण्ड से कुछ महिलायें बस में बैठी, जब बस चुंगीनाका सलूम्बर पहुंची तो उक्त महिलाओं ने उतरने के लिए बस रूकवाई और महिलाएं उतरने हुए अपने बेग से धक्का–मुक्की करते हुए उसकी मम्मी वेसु बाई के गले में पहनी सोने की चेन खींच कर चोरी कर ले गए.....वगैरा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना, सलूम्बर में मुकदमा सं. 259/2025 अपराध धारा 303(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध धारा 303(2) बीएनएस के आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

5. बहस पर विचार किया गया, पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से अनुसंधानकर्ता ने अपराध धारा 303(2) बीएनएस का प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना पाया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित होकर सजायाब रही हो, ऐसा कोई रिकार्ड केसडायरी में उपलब्ध नहीं है। इस मामले की सह–अभियुक्तगण काली वगैरा तथा दिनेश का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 07.11.2025 व दिनांक 03.02.2026 को मन्जूर किया जाकर इन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश किया जा चुका है। वर्तमान प्रार्थीया/अभियुक्ता का मामला उक्त सह–अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता इस मामले में दिनांक 20.05.2025 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलस्वरूप प्रार्थीया/अभियुक्ता श्रीमती सुकली पत्नी शिवशंकर, निवासी–पीपलोद, बांसवाडा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला–बांसवाडा(राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. एतद्द्वद्वारा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता मुकदमा संख्या 259/2025 पीएस सलूम्बर के संबंध में यदि संबंधित विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके समक्ष 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) का निजी मुचलका एवं 25,000–25,000/रूपये (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो जमानतें विचारण में सहयोग करने व जमानत का दुरूपयोग नहीं किये जाने तथा अपराध की पुनर्रावृत्ति नहीं किये जाने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे तो उसे **इस प्रकरण में** तुरन्त जमानत पर रिहा किया जावे।

{रामेश्वर प्रसाद चौधरी}
सेशन न्यायाधीश,
सलूम्बर (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

{रामेश्वर प्रसाद चौधरी}
सेशन न्यायाधीश,
सलूम्बर (राज.)